न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बस्तर, जगदलपुर

//आदेश//

क्र0/ 505 /वि0दा0प्र0क्र0/2021 जगदलपुर, दिनांक 30/03/2021

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 243/वि.दा.प्र.क्र./2021, जगदलपुर, दिनांक 24.03.2021 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन आदेश जारी किये गये है। उक्त आदेश में निरंतरता रखते हुये निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते है :–

1. दिनांक 30.03.2021 से समय रात्रि 08.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक आगामी आदेश पर्यन्त रात्रि कर्फ्यू लगाया जाता है।
2. समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान, किराना दुकान, माल्स, चौपाटी स्थल, सिनेमा हॉल, बाजार स्थल आदि को रात्रि 08.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। रात्रि 08.00 बजे के पश्चात् सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं दुकानों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आपातकालीन सेवायें जैसे चिकित्सा संस्थान, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पम्प आदि प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे ।
3. उपरोक्त दर्शित आदेश की कण्डिका **"(IV) होटल,रेस्टोरेंट आदि मे बैठकर भोजन ग्रहण करने की अनुमति नही होगी । किन्तु घर ले जाने (Take away) की सुविधा रहेगी"** में आंशिक संशोधन करते हुये होटल, रेस्टोरेंट आदि में बैठकर भोजन ग्रहण करने के लिये रात्रि 10.00 बजे तक की अनुमति प्रदान की जाती है एवं रात्रि 11.30 बजे तक घर ले जाने (Take away) की सुविधा रहेगी।

उक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30,34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथा संशोधित 2020 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा।

आज दिनांक 30/03/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा सहित यह आदेश पारित किया जाता है।

(रजत बसंल)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला बस्तर, जगदलपुर

पृ0क्र0/ 506 /वि0दा0प्र0क्र0/2021 जगदलपुर, दिनांक 30/03/2021

प्रतिलिपि :–

1/ प्रमुख सचिव, गृह विभाग (सी–अनुभाग) मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर।
2/ आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर।
3/ पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, जगदलपुर।
4/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला बस्तर, जगदलपुर।
5/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जगदलपुर,जिला बस्तर ।
5/ अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला बस्तर।
6/ सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला बस्तर।
7/ नगर दण्डाधिकारी, जगदलपुर।
8/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जगदलपुर,जिला बस्तर ।
9/ सर्व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, बस्तर जिला।
10/ नगर पुलिस अधीक्षक, जगदलपुर।
11/ सर्व तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला बस्तर ।
12/ सर्व थाना प्रभारी, जिला बस्तर।
13/ संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, बस्तर जिला, जगदलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(रजत बंसल)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला बस्तर, जगदलपुर